"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 112] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 मई 2012—वैशाख 21, शक 1934

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-50/तीन-जेल/2004.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जेल (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची-चार के कॉलम क्रमांक 3 में, शब्द "सहायक जेल महानिरीक्षक" के पश्चात् शब्द "या अधीक्षक केन्द्रीय जेल" जोड़ा जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 मई 2012

क्रमांक एफ 3-50/तीन-जेल/2004.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-5-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 11th May 2012

NOTIFICATION

No. F 3-50/Three-Jail/2004.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, The Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Jail (Gazetted) Recruitment Service Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said rules,—

In Column number 2 of Schedule-IV, after the words "Asstt. Inspector General Jail" the words "or Superintendent Central Jail" shall be added.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. P. SHORI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.